

सामाजिक कानून और कानूनी सहायता में समाज कार्यकर्ता की भूमिका

* रंजना सहगल

प्रस्तावना

भारत का संविधान सभी नागरिकों को समान सुरक्षा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। निहितार्थ यह है कि न केवल कानून होने चाहिए अपितु हमें यह भी देखना कि उनका न्यायपूर्ण रूप से कार्यान्वयन भी हो। प्रायः ज़मीन के कानून निर्धन और कमज़ोर वर्गों के लिए उपलब्ध नहीं होते फिर भी न्याय और कल्याण के लिए इन सुभेद्य और उपेक्षित वर्गों की सुरक्षा के लिए विशिष्ट उपाय करना आवश्यक हो जाता है और ऐसा ही एक उपाय है समाज कल्याण के उद्देश्य से विशिष्ट कानूनों को लागू करना जिन्हें हम सामूहिक रूप से सामाजिक कानून कहते हैं।

विभिन्न तकनीकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तथ्यों के परिणामस्वरूप हमारे समाज में विभिन्न रूपों में वैयक्तिक और सामाजिक अव्यवस्थाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। अव्यवस्थाओं के परिणामों का मुकाबला करने के लिए इन व्यक्तियों, समूहों और संस्थाओं को विशिष्ट विचारधाराओं, कार्यक्रमों और सहायताओं की आवश्यकता होती है और कानून एक ऐसा ही दृष्टिकोण है। उपेक्षित, अभावग्रस्त और पीड़ित बच्चों की देखभाल सुरक्षा और उपचार के लिए परीक्षण, भिक्षा पर नियंत्रण और उन्मूलन के लिए, वेश्याओं की कल्याण सेवाओं के लिए, वयस्क अपराधियों के लिए उपेक्षित और अकिंचन वर्गों के लिए तथा ऐसे ही अन्य वर्गों के लिए विशिष्ट कानून बनाए गए हैं। अवैध व्यापार, बाल अपराध जैसी सामाजिक समस्याएँ हमारी व्यवस्था की ही उपज है और समाज कार्यकर्ता ही सामाजिक दुष्क्रिया की इन समस्याओं को गहराई से देखता है।

* डॉ. रंजना सहगल, इन्दौर स्कूल ऑफ सोशल वर्क, इन्दौर

समाज कार्यकर्ता के पास संसाधनों तक पहुँचने की जानकारी और दक्षता होती है जिससे वे संसाधनों को उन वर्गों के पक्ष में संतुलित कर सकते हैं जिनके हितों की उपेक्षा की जाती रही है।

समाज कार्यकर्ताओं द्वारा कानून को प्रभावशाली साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में समाज कार्यकर्ता न्याय प्रदान करने विशेषतः कमज़ोर वर्गों को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। समाज कार्य कानून के साथ मिलकर बाल अपराधियों के पुनर्वास में व्यावसायिक कार्यान्वयन में तथा कानून की सहायता के ज़रूरतमंदों में वेश्याओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, निर्धनों की सहायता कर सकता है। वास्तव में समाज कार्यकर्ता सामाजिक कानून के क्षेत्र में अपने लिए एक सार्थक और रचनात्मक भूमिका की रचना कर सकते हैं।

सामाजिक कानून की संकल्पना

कानून समाज में रहने वाले व्यक्तियों और समूहों के व्यवहारों का नियंत्रण करने मार्गदर्शन करने तथा प्रतिबंधित करने का एक साधन है। यदि व्यक्तियों और समूहों को एकदम स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो वे दूसरों की कीमत पर अपने हितों की पूर्ति के लिए परस्पर संघर्ष करने लगेंगे। उस समय अव्यवस्था पैदा करते हुए वे समाज को क्षति पहुँचा सकते हैं। व्यक्तियों के कार्यों को वांछित दिशाओं में नियंत्रित और निर्देशित करने वाली अनेक संस्थाओं में से एक संस्था कानून है। अन्य हैं सामाजिक परम्पराएँ, प्रथाएँ तथा धार्मिक संस्तुतियाँ आदि। कानून एक व्यापक विषय है जिसकी कई शाखाएँ हैं। व्यापक अर्थ में सभी कानूनों का स्वरूप सामाजिक है और सीमित अर्थ में केवल उन्हीं कानूनों को सामाजिक कानून की श्रेणी में रखा जाता है जिन्हें समाज कल्याण के लिए लागू किया जाता है। कानून अनेक प्रकार के होते हैं जैसे कराधान, औद्योगिक, दीवानी, आपराधिक और व्यावसायिक आदि। सामाजिक कानून कानून की वह शाखा है जो कुल मिलाकर लोगों के विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पक्षों से संबंधित हैं। यह सामाजिक संस्था है जो किसी सक्षम कानून एजेंसी के प्रयास से सामाजिक नियमों पर आधारित है। यह कानून समय की आवश्यकताओं, राष्ट्र की परिस्थितियों और इसके सामाजिक राजनीतिक आदर्शों को ध्यान में रखकर लागू किए जाते हैं।

आइए, हम सामाजिक कानून की कुछ परिभाषाओं की चर्चा करें।

डा. आर. एन. सक्सेना सामाजिक कानून को श्रुक्छ सामाजिक बुराइयों को हटाने या सामाजिक परिस्थितियों में सुधार करने या सामाजिक सुधार करने के उद्देश्य से विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम या सरकार द्वारा जारी आदेश के रूप में परिभाषित करता है।

सामाजिक कानून की विस्तृत परिभाषा केमरचाइल्ड के शब्दकोश *डिक्शनरी ऑफ सोशलॉजी* (समाजशास्त्र शब्दकोश) में दी गई है। इस परिभाषा के अनुसार सामाजिक कानून का अर्थ है समाज में आयु, जाति, लिंग, शारीरिक या मानसिक विकृति या आर्थिक क्षमता के अभाव में अपने लिए, स्वास्थ्य और बेहतर जीवन स्तर में जीने में असमर्थ समूहों की आर्थिक और सामाजिक दशाओं का सुधार और सुरक्षा के लिए कानून बनाना। साधारण शब्दों में सामाजिक कानून समान स्वतंत्रता और अवसरों की समानता प्रदान करते हुए समाज के वंचित और सुविधाहीन सामाजिक जीवन स्तर को न्यूनतम करने तथा संबंध स्थापित करने की प्रणाली है। प्रो. गेंग्रेड के अनुसार सामाजिक कानून में उपायों की वह प्रक्रिया शामिल है जिसके द्वारा समाज की गलत दिशा को रोकने या परिवर्तन करने या प्रस्थापित सही दिशा प्रदान की जाती है। इन परिभाषाओं के सार के रूप में सामाजिक कानून को उन विशिष्ट कानूनों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो विशिष्ट वर्गों जैसे महिला, बच्चे, वृद्ध, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, शारीरिक और मानसिक चुनौती वाले, असंगठित श्रमिक, कृषि और भूमिहीन श्रमिक तथा अन्य ऐसे सुभेद्य समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुधारने के विशेष उद्देश्यों से पारित किए जाते हैं।

सामाजिक कानून: आवश्यकताएँ और उद्देश्य

किसी कल्याणकारी राज्य में सामाजिक कानून की आवश्यकता और महत्व को कम नहीं आँका जा सकता। हमारा संविधान कल्याणकारी राज्य बनने की जनता की अभिलाषा प्रकट करता है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को बेहतर जीवन जीने और सुखी रहने का अधिकार मूल अधिकार हो। विस्तृत अर्थ में देश के प्रत्येक नागरिक को बुनियादी मानव अधिकार जैसे जीवन, रोजगार, कार्य, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के अधिकार पाने का अधिकार हो अब ये अधिकार केवल राज्य के

कानून के माध्यम से सुरक्षित हो सकते हैं। यह सर्वविदित है कि जब सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन होता है तो नई समस्याएँ और अपेक्षाएँ उत्पन्न होती हैं जिन्हें छोड़ा नहीं जा सकता है। कुछ समस्याएँ जैसे बाल अपराध, अपराध के नए रूप, सामाजिक-आर्थिक अन्याय, सामाजिक सुरक्षा की सामाजिक-आर्थिक असमानता की समस्याओं को कल्याणकारी कानूनों के माध्यम से हल करना पड़ता है। एक तरफ तो विद्यमान सामाजिक आवश्यकताओं और समस्याओं को दूर करने तथा दूसरी तरफ भावी सामाजिक परिवर्तनों को देखना भी महत्वपूर्ण है ताकि सामाजिक परिवर्तनों को निश्चित स्वरूप एवं सामग्री प्रदान की जा सके। इस प्रकार सामाजिक कानून निम्नलिखित के लिए आवश्यक है:

(i) सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए, (ii) सामाजिक सुधार करने के लिए, (iii) सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, (iv) आवश्यक सामाजिक परिवर्तन के बारे में बताना, तथा (v) समाज के सामाजिक-आर्थिक और सुविधाविहीन समूहों के अधिकारों की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए सामाजिक परिवर्तन करने हेतु सामाजिक कानून दृढ़ कानूनी नियम हैं।

सामाजिक कानून के उद्देश्य

सामाजिक कानून हमारे संविधान से प्रेरणा ग्रहण करते हैं और उनके निम्नलिखित विशिष्ट उद्देश्य हैं:

- i) लिंग, धर्म, जाति, वर्ग आदि के आधार पर भेदभाव समाप्त करना तथा सबको बराबर मानना
- ii) कमज़ोर वर्गों जैसे महिला, बच्चे, वृद्ध, विधवा, परितक्त और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना
- iii) अस्पृश्यता, दहेज, बाल विवाह, बालिका भ्रूण हत्या आदि जैसी पारम्परिक कुप्रथाओं और सामाजिक बुराइयों को समाप्त करना
- iv) सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान करना

सामाजिक संवैधानिक आवश्यकताएँ

- (i) सुरक्षा और अधिकारों को बढ़ावा (ii) वैयक्तिक एवं सामाजिक अव्यवस्था की रोकथाम, (iii) तुरंत कार्रवाई करने और (iv) सामाजिक

परम्पराओं में सामाजिक सुधार करने तथा (v) अभिष्ट सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रगतिशील सामाजिक मूल्यों की स्थापना के लिए सामाजिक कानूनों की आवश्यकता होती है। संक्षेप में सामाजिक कानून का मुख्य उद्देश्य समाज की सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति में सुधार कर समाज में परिवर्तन और मान्यता प्रदान करना। समाज के प्रत्येक सदस्य को समान अधिकार और समान अवसर प्रदान करने होते हैं। सामाजिक कानूनों का उद्देश्य ठोस सामाजिक नियमों के आधार पर सामाजिक सुधार और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ करने के कानूनी उपायों से सामाजिक समस्याओं का समाधान करना है। चूँकि हमारा समाज तेज़ी से परिवर्तित हो रहा है इसलिए सामाजिक कानून में परिवर्तनों को अभीष्ट दिशा प्रदान की जाती है।

सामाजिक परिवर्तन के एक साधन के रूप में सामाजिक कानून

क्या सामाजिक कानून सामाजिक परिवर्तन का साधन है? दो विचारधाराएँ हैं। एक विचारधारा वर्ग वाले समाजशास्त्रियों का विचार है कि अकेला कानून परिवर्तन नहीं कर सकता। यह केवल परिवर्तन का अनुसरण करता है। इस प्रकार यह मूल्यों और मनोवृत्तियों के बुनियादी परिवर्तन का साधन नहीं हो सकता। दूसरी तरफ अन्य विद्वानों का विचार है कि सामाजिक परिवर्तन करने में सामाजिक कानून महत्वपूर्ण समर्थन प्रणाली है। इस बात में महत्वपूर्ण सच्चाई है कि कानून तब तक वास्तविक रूप से प्रभावी नहीं हो सकता जब तक लोकतम द्वारा इसे पूरा समर्थन न दिया जाए तथा प्रशासनिक सुधारों के रूप में लागू न किया जाए। परिवर्तन साधन के रूप में कानून की सीमाएँ होती हैं। इसके बावजूद, समाज के कमज़ोर और उपेक्षित वर्गों के प्रति संमाज कार्य की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए सामाजिक कानून व्यावसायिक समाज कार्यकर्ताओं के हाथ में सशक्त प्रभावशाली साधन हो सकता है। आइए, हम परिवर्तन के लिए इसके महत्व को समझने का प्रयास करें।

भारत में पहली बार अंग्रेज़ी शासन ने कानून और सामाजिक व्यवस्था में वैसी समानता सुनिश्चित करते हुए उन सामाजिक मामलों में कानून की सर्वोच्च शक्ति की स्थापना की जिसे तब तक भारत में यह नहीं किया गया था। पिछली शताब्दी में हमने एक तरफ तो महिला, बच्चों, अनुसूचित जाति और अन्य सुभेद्य

वर्गों की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने वाले महत्वपूर्ण कानून बनाए तो दूसरी तरफ परिवार और विवाह आदि सामाजिक संस्थाओं में सुधार करने के लिए भी अनेक कानून पारित किए गए थे। हम जानते हैं कि अनेक कुप्रथाएँ जैसे सती-प्रथा और बाल-विवाह आदि अभी भी प्रचलित हैं और समय पर उपयुक्त कानूनों द्वारा इन्हें समाप्त नहीं किया गया तो सामाजिक कानून पिछड़ सकता है तो भी इसने हमारी कई प्राचीन पारम्परिक परम्पराओं और प्रथाओं को समाप्त करने में हमारी सहायता की है। उदाहरण के लिए कानून महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन लाने में साधन बना है। लिंगीय समानता हमारे संविधान द्वारा सुनिश्चित की गई है और कानून ने पुरुषों के बराबर अनेक अधिकार प्रदान किए हैं। आज हमारे पास लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव की रोकथाम के लिए कानून हैं। एक पूर्णतः कानूनी व्यक्ति के रूप में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अंतर्गत स्त्री धन के साथ महिला संपूर्ण संपत्ति को प्राप्त करने, अपने पास रखने तथा हस्तांतरित करने का अधिकार रखती है। फिर अधिनियम पुरुष उत्तराधिकारी के समान महिलाओं को उत्तराधिकार का अधिकार प्रदान करता है। जहाँ पर कोई हिन्दू पुरुष अपनी संपत्ति के बारे में अपनी अंतिम इच्छा करने से पूर्व मर जाता है तो उसकी विधवा पत्नी, माता, पुत्रियों और पुत्रों को एक साथ प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी माने जाते हैं और वे सभी समान रूप से एक-एक हिस्सा ग्रहण कर लेते हैं।

दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के अनुसार विवाह संपन्न होने के बाद तीन मास के अंदर दहेज का धन दुल्हन को हस्तांतरित करना होता है। यह संपत्ति पूरी तरह उसी की होती है तथा यदि प्राप्त होने से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाती है तो यह राशि उसके उत्तराधिकारियों को मिलती है। हिन्दुओं के विवाह अधिनियम में सुधार होने से महिलाओं पर थोपी गई अनेक पारम्परिक अयोग्यताओं को समाप्त कर दिया गया है। इसने द्वि-विवाह को समाप्त कर दिया है तथा पत्नी भी कानूनी रूप से तलाक ले सकती है। बाल-विवाह निरोध अधिनियम 1929 ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है। हिन्दू विवाह अधिनियम के अंतर्गत गुजारा भत्ता का अधिकार केवल महिलाओं को दिया गया है जबकि आपराधिक दंड संहिता (खण्ड 125) सभी पर लागू होती है। रोजगार के मामले में महिलाओं को पुरुष सहकर्मी के समान वेतन पाने का अधिकार है। हिन्दू दत्तक और देखभाल अधिनियम 1956 के अंतर्गत पुत्री को भी गोद लिया व दिया जा सकता है।


कानून संरचनात्मक परिवर्तन लाने में भी एक साधन रहा है। जैसे जाति प्रथा को समाप्त करना। संविधान और सांविधानिक कानूनों के अंतर्गत किसी भी जाति में जन्म लेने से व्यवसाय विकल्प पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सामाजिक कानून अधिकारों की सुरक्षा के द्वारा अस्पृश्यता निषेध ने सामाजिक गतिशीलता का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। ऐसे अनेक उदाहरणों का वर्णन किया जा सकता है जहाँ सामाजिक कानूनों के द्वारा परिवर्तन और सुधार किए गए हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक कानूनों ने स्वतंत्रता, सम्मान और पीड़ितों को न्याय प्रदान करने के अवसरों में वृद्धि करने में सहायता प्रदान की है। हमारी परम्पराएँ परिवर्तन को बाधित करती हैं लेकिन कानून परम्पराओं और पुरानी पारम्परिक प्रथाओं को परिवर्तित करने का साधन हो सकता है।

सामाजिक कानून और समाज कार्य

जैसा कि हमने सामाजिक कानून के उद्देश्य के बारे में पहले चर्चा की है अब हम समाज कार्य और सामाजिक कानून के बीच संबंध की चर्चा करेंगे। समाज कार्य व्यावसायिक (विशेषतः) सहायता होती है जो व्यक्तियों, समूहों और समुदायों को प्रदान की जाती है चूँकि समाज कार्य समस्याओं के और संरचनात्मक असमानता, व्यापक निर्धनता, सामाजिक-आर्थिक अन्याय और अभावग्रस्तता से संबंधित विषयों के समाधान को ठोस प्रयास करता है अतः मुख्य कार्य आज तथा भविष्य में भी लोगों को सशक्त बनाकर सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देना होगा। अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ता परिसंघ (द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्कर्स) तथा अन्तर्राष्ट्रीय समाज कार्य विचारधारा संघ (इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ स्कूल्स ऑफ सोशल वर्क) समाज कार्य की परिभाषा इस प्रकार देते हैं, 'समाज कार्य व्यवसाय सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देता है, मानवीय संबंधों में समस्याओं का समाधान करता है तथा लोगों के कल्याण के लिए उन्हें सशक्त और स्वाधीन बनाता है। मानवीय व्यवहार के सिद्धान्तों और सामाजिक व्यवस्था का उपयोग करते हुए समाज कार्य लोगों द्वारा अपने परिवेश के साथ पारस्परिक संपर्क करने के बिन्दु पर मध्यस्थता करता है। मानवाधिकार के सिद्धान्त और सामाजिक न्याय समाज कार्य के मूल तत्व है।'

समाज कार्य लोगों की कठिनाइयाँ और पीड़ाओं से मुक्ति तथा उनकी रोकथाम के प्रयास करते हैं। उनका दायित्व उपयुक्त सेवाओं के प्रावधान और संचालन

के माध्यम से तथा सामाजिक योजना निर्माण में योगदान करने के द्वारा व्यक्तियों, परिवारों, समूहों और समुदायों की सहायता करना ही है। वे वैयक्तिक और सामाजिक कठिनाइयों को दूर करने तथा आवश्यक संसाधन और सेवाएँ प्राप्त करने के लिए लोगों के साथ, उनकी तरफ से या उनके हितों में कार्य करते हैं। उनके कार्य में अंतर्वैयक्तिक व्यवहार, सामूहिक कार्य, सामुदायिक कार्य, सामाजिक विकास, समाज कार्य, नीति निर्माण, अनुसंधान, समाज कार्य शिक्षा और पर्यवेक्षण तथा इन क्षेत्रों में प्रबंधन कार्य शामिल तो हो सकते हैं लेकिन ये कार्य यहाँ तक ही सीमित नहीं है। व्यावसायिक समाज कार्यकर्ताओं द्वारा सामाजिक कानूनों को सामाजिक सिफारिश करने, बुनियादी मानवाधिकार, सम्मान सहायक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए एक साधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में समाज कार्य समग्र दबाव, ग़ैर विशिष्ट दृष्टिकोण से सामाजिक वास्तविकताओं के साथ समय पर विकास, उपाय और पुनर्वास आयामों पर रहता है। सामाजिक कानून, सामाजिक सुधार, कल्याण विकास और परिवर्तन के साधन के रूप में कार्य करते हैं। इस संबंध को रेखाचित्र पद्धति से निम्नलिखित प्रकार से अभिव्यक्त किया जा सकता है।



चित्र: सामाजिक कानून और अन्य सामाजिक प्रक्रियाओं के बीच संबंध

समाज कार्यकर्ता को पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए उपलब्ध सहायता चिकित्सा, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, वैधानिक संसाधनों की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। इस कार्य में चाहे नए आने वाले या वर्षों से कार्यरत सभी व्यावसायिक समाज कार्यकर्ताओं का कानून के साथ अनिवार्यतः संबंध होता है। समाज कार्य की प्रकृति और मानव सेवा कार्य के रूप में लोगों की अपेक्षाओं

के कारण समाज कार्यकर्ताओं के लिए वैधानिक जानकारी होना अनिवार्य है। उन्हें दैनिक कार्य से संबंधित कानूनों जैसे दत्तक, उत्तराधिकार, भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति, महिलाओं, बच्चों और निम्न जातियों के विरुद्ध होने वाले अपराधों जैसे अन्य कानूनों की जानकारी होनी चाहिए क्योंकि अपने मुक्किलों की सहायता करने की प्रक्रिया में प्रायः उन्हें वैधानिक ज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। महिला कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने वाले एक समाज कार्यकर्ता को परिवार कानूनों, दहेज निषेध अधिनियम, अवैध व्यापार रोकथाम अधिनियम तथा महिलाओं के कल्याण हेतु उपलब्ध ऐसे अन्य कानूनों की जानकारी होना आवश्यक है। इसी प्रकार बच्चों के लिए कार्य करने वाले समाज कार्यकर्ताओं को बाल न्याय अधिनियम और बच्चों के हितों की रक्षा करने वाले अन्य कानूनों की जानकारी होना आवश्यक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कानून और मुख्यतः लोगों के कल्याणकारी अधिकारों से संबंधित क्षेत्रों से निर्मित सामाजिक कानून समाज कार्य के व्यवसाय के लिए आवश्यक है।

कानूनी क्षेत्र होने के बावजूद एक समाज कार्यकर्ता को अपने मुक्किलों पर उनके लागू होने के बारे में भी जानकारी रखना है। उन्हें न केवल इन कानूनों की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए अपितु उनके भावी कार्यों से संबंधित होने के कारण उनकी प्रक्रिया और पद्धति के बारे में भी जानना चाहिए। यहाँ पर हमें एक चीज समझ लेनी चाहिए कि समाज कार्यकर्ता को कानून की जानकारी होने और अधिवक्ताओं (विधि व्यवसायियों) को जानकारी होने में महत्वपूर्ण अंतर होता है। समाज कार्यकर्ता मामलों को हारने या जीतने की अपेक्षा सामाजिक संस्थाओं में सुधार करने, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने तथा सुभेद्य और पीड़ित वर्गों को सशक्त बनाने के लिए कानूनों का प्रयोग करते हैं। उन्हें कानूनों के बारे में इसलिए जानना आवश्यक है ताकि वे अपने मुक्किलों/एजेंसियों के सर्वोत्तम हितों में उनका उपयोग कर सकें। वास्तव में समाज कार्य शैली में सामाजिक कानून समाज कार्य की विशेषतः सामुदायिक संगठन और लोगों के कल्याण तथा अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए समाज कार्य की पद्धतियों को लागू करती है। यदि समाज कार्यकर्ताओं को इन कानूनों के बारे में जानकारी होती है तो वे लक्ष्य समूहों के लिए अधिक सहजता से कार्य कर सकते हैं। इन कानूनों की जानकारी होने से वे जरूरतमंदों का कल्याण करने में सरकार के प्रयासों को मज़बूती प्रदान कर सकते हैं। मंबी समाज कार्यकर्ताओं को कानूनी

जानकारी होने के पाँच कारणों का वर्णन करता है: (i) अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करने के लिए, (ii) सलाह और सहायता प्रदान करने के लिए प्रस्तुत होना, (iii) अत्याचार निरोधी और भेद-भाव रोधी पद्धति से कार्य करने के लिए सामाजिक सेवाओं के मुवक्किल होने के रूप में व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए, और (iv) कर्मचारी होने के रूप में अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए।

कानूनी सहायता में समाज कार्यकर्ता की भूमिका

कानून और समाज कार्य के बीच अन्योन्याश्रित संबंध है जिसकी जाँच हमने पिछली इकाई में की है। माधव मेनन कहता है कि कानूनी परामर्श, कानूनी साक्षरता, कानूनी दस्तावेज बनाने और लोक अदालतों तथा झगड़े निपटाने के अन्य रूप को संपूर्ण क्षेत्र कानून और समाज कार्य संस्थाओं के सहयोगी प्रयासों पर निर्भर है। बेहतर कानूनी सेवाएँ प्रदान करने के लिए इस घनिष्ठ संबंध के महत्व को मान्यता प्रदान करते हुए संसद ने कुछ चुनी हुई न्यायिक संस्थाओं में न्यायकर्ता (सामान्य जज) की भूमिका प्रदान की है। मुवक्किल द्वारा किसी कानूनी कार्रवाई का संपूर्ण लाभ उठाने के लिए न्याय के कार्य में ज्ञान संपन्नता एवं सहायक दलीय कार्य उसकी कुंजी है। प्रत्येक व्यक्ति को न्याय उपलब्ध कराने के लिए राज्य ने अदालत, मानवाधिकार आयोग सतर्कता संस्थाएँ तथा व्यापक कानूनी सहायता योजना निर्धनों के लिए लागू की है। भारत में कानूनी सहायता का संबंध अदालती कार्रवाई में अधिवक्ताओं का प्रतिनिधित्व प्रदान करना भर नहीं है अपितु यह कानूनी शिक्षा के साथ लोगों को सशक्त बनाने का, कानूनी कार्यवाही के लिए उन्हें गतिशील बनाने का तथा अपने विवाद निपटाने के लिए मुफ्त कानूनी सहायता के साथ उन्हें समर्थ बनाने का एक आंदोलन है। संक्षेप में, कानूनी सहायता आंदोलन में समाज कार्यकर्ता का कार्य अधिवक्ताओं के कार्य जितना ही महत्वपूर्ण है। जनहित याचिका में तथ्य एकत्रित करने और सहायता तथा उपायों के मामलों में अदालती आदेश पर नज़र रखने तथा सूचनाएँ प्रदान करने के लिए अदालत के प्रतिनिधि के रूप में अदालतें तथा अन्य वैधानिक संस्थाएँ समाज कार्यकर्ताओं की सहायता ले रही हैं।

कानूनी सहायता तथा कानूनी मदद दोनों में अंतर है क्योंकि वे एक या एक जैसी नहीं हैं परन्तु इनका एक दूसरे के स्थान पर प्रायः प्रयोग किया जाता है। कानूनी

सहायता का मूल अर्थ है कानून के अंतर्गत अपने अधिकारों को पाने की इच्छा रखने वाले निर्धन व्यक्ति को निपुण कानूनी सहायता प्राप्त करना। इसमें अदालती शुल्क, वकील का खर्च तथा कानूनी कार्रवाई से संबंधित होने वाले अन्य खर्चों की अदायगी करना शामिल है। दूसरी तरफ, कानूनी मदद मामले की प्रकृति की आवश्यकता के अनुसार मुवक्किल को लिखित या मौखिक कानूनी मदद प्रदान कराना है। इस भाग में हम सामाजिक कानून के कुछ उन विशिष्ट क्षेत्रों की चर्चा करेंगे जिनमें समाज कार्यकर्ता कानूनी सहायता प्रदान करने और उस सहायता की प्रकृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हमने चार क्षेत्र लिए हैं: महिलाएँ, आपराधिक न्याय, बाल न्याय और विभिन्न स्तरों पर समाज कार्यकर्ता की प्रदर्शित भूमिका की जाँच।

समाज कार्यकर्ता और महिलाओं को कानूनी सहायता

प्राचीन परम्पराओं से महिलाएँ सदियों से पीड़ित रही हैं तो भी स्वतंत्रता के बाद उनकी स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है। हमें आशा है कि महिलाओं की निर्बलताएँ समाप्त हो जाएँगी क्योंकि हमारे संविधान में लिंगीय समानता का आश्वासन प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 15 और 16 सकारात्मक भिन्नता का प्रयोग करने के द्वारा सामाजिक पक्ष की स्वीकृति प्रदान करता है। फिर विभिन्न कानूनों के माध्यम से उन्हें विशेष प्रतिकार प्रदान किए गए हैं ताकि लिंगीय समानता को भारतीय जीवन की दिशा बनाई जा सके। आज भी महिलाओं को कानूनी सहायता की अत्यधिक आवश्यकता है। हमें व्यावसायिक समाज कार्यकर्ताओं और महिला कल्याण संगठनों के साथ और अधिक कानूनी कार्य कर सकने वाले सक्रिय अधिवक्ताओं, सामाजिक सरोकार रखने वाले व्यक्तियों और समूहों के मज़बूत प्रकोष्ठों की आवश्यकता है। परिवार में और परिवार से बाहर आज भी महिलाओं के साथ किए जाने वाले गलत व्यवहारों के समाधान हेतु न्याय प्रक्रिया का प्रयोग करने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है।

न्यायाधीश सुजाता मनोहर का विचार है कि महिलाएँ जब परिवारों में वैवाहिक मतभेद जैसी समस्याओं से पीड़ित होती हैं तो वे सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक कठिनाइयों का विशेष रूप से जल्दी शिकार हो जाती हैं जिससे वे कानूनी सहायता लेने के लिए विवश हो जाती हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए कानूनी सेवाओं के कुछ कार्यक्रमों का उल्लेख किया है। कार्यक्रम के सभी संदर्भों में

प्रशिक्षित अधिवक्ताओं का शामिल होना आवश्यक नहीं है। उनका मानना है कि अधिकांश कार्य समाज कार्यकर्ताओं द्वारा पूरा किया जाना चाहिए क्योंकि अधिवक्ता के पास मामला ले जाने तक अधिकांश आरंभिक कार्यों के लिए कानूनी रूप से प्रशिक्षित समाज कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है। ऐसे कार्यक्रम की आवश्यकता का मूल्यांकन करने के लिए प्रशिक्षित समाज कार्यकर्ता की आवश्यकता अधिवक्ताओं और कानूनी सेवाओं से पहले होती है। अधिकांश अनुवर्ती कार्य भी प्रशिक्षित समाज कार्यकर्ताओं के द्वारा ही किए जाएंगे। अपराधों जैसे बलात्कार और घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को न्याय प्राप्त करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सामाजिक परम्पराएँ उन्हें अपराधों का खुलाशा करने से रोकती हैं। समाज कार्यकर्ताओं को बलात्कार और दहेज हत्याओं की पीड़ित महिलाओं को मुकदमे से पूर्व, मुकदमे के दौरान तथा मुकदमे के बाद देखना चाहिए। महिलाओं की विशिष्ट समस्याओं की पहचान करना और सहायता की आवश्यकता वाली महिलाओं की सहायता करना तथा कानूनी उपायों के लिए संसाधन उपलब्ध करवाना सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है। देश में केवल मुम्बई में ही स्थानीय दीवानी अदालत है जिसे वैवाहिक कार्यों के साथ समाज कार्य विद्यालय के सहयोग से प्रशिक्षित समाज कार्यकर्ताओं के समूह के साथ जोड़ा गया है। न्यायाधीश सुजाता मनोहर ने एक निर्णय में स्पष्ट किया कि महिलाओं के लिए कानूनी सहायता करने वाले कार्यक्रमों में निम्नलिखित को शामिल किया जाना चाहिए:

- i) महिलाओं की विशिष्ट समस्याओं की पहचान करना तथा उन तक पहुँचना और सहायता की आवश्यकता वाली महिला को सहायता प्रदान करना।
- ii) महिलाओं के कानूनी अधिकारों के बारे में उन्हें सूचना प्रदान करने के विशेष कार्यक्रम, इसमें उन महिलाओं तक पहुँचना भी शामिल है जो जेल में हैं, जो पागलखाने में हैं तथा जो पर्दा करती हैं और उनकी तरफ से कानूनी कार्रवाई आरंभ करना।
- iii) महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में सूचना देना। इसमें चर्चाएँ करना, या मीडिया का प्रयोग करना तथा साधारण भाषा में संबंधित सूचना देते हुए पत्रों या लेखों का प्रकाशन और वितरण करना।

- iv) यदि कानून संतोषजनक नहीं है तो उपयुक्त सुधारों के लिए प्रकोष्ठ बनाना
- v) परीक्षण मामले दायर करना, उपयुक्त मामलों में सामूहिक कार्य करना या जनहित की कार्रवाई करना।
- vi) निःशुल्क या किफायती कानूनी सलाह प्रदान करना तथा उचित मामले में वादी महिला को उसकी पसंद के अधिवक्ता की सेवाएँ भी इसी प्रकार उपलब्ध कराना।
- vii) मुकदमे के खर्च को पूरा करने के लिए निर्धन महिला को आर्थिक सहायता देना।
- viii) पारिवारिक झगड़ों में सलाह और झगड़े निपटाने के लिए कार्यक्रम बनाना जिसमें दोनों पक्षों को बुलाया जा सके। उनकी समस्याओं के बारे में प्रशिक्षित परिवार परामर्शदाताओं द्वारा चर्चा करना तथा सुलह कराने का प्रयास करना।
- ix) एक आपात कक्ष की स्थापना जहाँ सहायता की तत्काल आवश्यकता वाली महिलाएँ जा सके और यदि आवश्यक हो तो वहाँ कुछ अवधि तक रह सके और कानूनी सलाह वह सहायता प्राप्त कर सके जैसे शारीरिक हिंसा की शिकार, ससुराल वालों द्वारा धन या दहेज के लिए उत्पीड़न की शिकार, अपनी ससुराल से निकाली गई महिलाएँ तथा अपने बच्चों की शरण चाहने वाली ऐसी महिलाएँ जिन पर शारीरिक अत्याचार हुआ है या शीघ्र होने की संभावना है।
- x) एक ऐसा सूचना केन्द्र जहाँ कानूनी सूचनाओं के साथ पीड़ित महिलाएँ महिला गृहों और आवासों के पते प्राप्त कर सके जहाँ आवश्यक होने पर अपने बच्चों के साथ कुछ दिन ठहरा जा सके। केन्द्र में महिलाओं के लिए उपलब्ध किसी नौकरी या कार्य के लिए प्रशिक्षण की सूचनाएँ भी प्रदान की जा सकती है।
- xi) अदालती मामला समाप्त होने के बाद महिला की सहायता के लिए अनुवर्ती सेवा।

xii) कानूनी केन्द्रों पर आने वाली महिला की समस्याओं के आँकड़े एकत्रित करने और मूल्यांकन करने के लिए अनुसंधान कक्ष।

उपर्युक्त गतिविधियों पर नज़र डालने से पता चलता है कि समाज कार्यकर्ता कई प्रकार से स्वयं को, अपने व्यावसायिक ज्ञान को तथा दक्षताओं को सम्मिलित कर सकते हैं। केस कार्य पद्धति का प्रयोग करते हुए समाज कार्यकर्ता पीड़ितों को भावात्मक सहायता, परामर्श तथा मार्ग दर्शन प्रदान कर सकते हैं। अपने स्तर पर अनेक दक्षताओं से वे उपर्युक्त सभी कार्यक्रमों से महिलाओं की अत्यधिक सहायता कर सकते हैं। जबकि समाज कार्यकर्ता समेकित पद्धति से अन्य पद्धतियों का भी उपयोग कर सकते हैं।

समाज कार्यकर्ता तथा अवैध व्यापार से पीड़ित व्यक्ति

वेश्यावृत्ति एक युग से चली आ रही समस्या है। संस्थागत आशवासन तथा अनैतिक अवैध निरोध अधिनियम (Prevention of Immoral Traffic Act – PITA) जैसे कानूनों के बावजूद लड़कियों और महिलाओं में अवैध व्यवसाय खतरनाक स्तर तक बढ़ गया है। हमारे समाज में जहाँ महिलाओं के साथ लैंगिक और घरेलू हिंसा की जाती है अतः उनका शोषण करना एकदम आसान है। फिर भी, इससे भी चिंता की बात यह है कि इस व्यवसाय में अधिकाधिक बच्चों को धकेला जा रहा है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 23, मनुष्यों में अवैध व्यवसाय को कानून दण्डनीय बनाता है। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत इस समस्या को नियंत्रित करने के प्रावधान हैं। वर्तमान अनैतिक अवैध निरोध अधिनियम (PITA) पहले के अनैतिक अवैध अधिनियम (सीटा) (Suppression of Immoral Traffic Act – SITA) का कानूनी प्रतिस्थापन है जो वेश्यालय मालिकों और विशेष रूप से वेश्यावृत्ति में बच्चों को धकेलने वालों के लिए कठोर दंड का विधान करता है। फिर भी, वेश्यावृत्ति के ज़ोखिम नियंत्रण और महिलाओं के लैंगिक शोषण से बचाव में कानून का कार्यान्वयन संतोषजनक स्थिति से बहुत दूर है। प्रायः पुलिस दलालों और वेश्यालय मालिकों से मिल जाती है। जब पीड़ितों को सुरक्षा गृहों में भेजा जाता है और वास्तविक अपराधी खुले घूमते रहते हैं। जब छापे मारे जाते हैं और लड़कियों को पकड़ा जाता है तो उन्हें कोई कानूनी सहायता प्रदान नहीं की जाती। उन्हें कोई परामर्श भी नहीं दिया जाता है। यहाँ पर समाज कार्यकर्ता

की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। समाज कार्य ऐसे पीड़ितों को कानूनी सहायता प्रदान कर सकता है। ऐसे पीड़ितों की शिक्षा, बचाव और पुनर्वास के लिए वे विभिन्न एजेंसियों से नेटवर्क स्थापित कर सकते हैं।

आपराधिक न्याय में समाज कार्यकर्ता की भूमिका

सुधारने और पुनर्वास की आधुनिक संकल्पना ने आज हमें अपराधियों के प्रति प्रतिशोध और दंड की विचारधारा छोड़ने वाला बना दिया है। किसी आपराधिक नीति का उद्देश्य अपराध को समाप्त करना होता है लेकिन पारम्परिक दंडात्मक और दमनकारी विचारधारा धीरे-धीरे परख और पैरोल (प्रतिज्ञाबद्ध) जैसे अन्य विकल्पों से बदली जा रही है। हमारी पूर्व विचारधारा इस परिकल्पना पर आधारित थी कि व्यक्ति जन्म से आपराधिक प्रवृत्ति का होता है जिसे अब इस विश्वास से रद्द कर दिया गया है कि कोई भी अपराधी के रूप में उत्पन्न नहीं होता और अन्य कारण भी होते हैं। इसलिए अपराध करने वाले व्यक्ति को सुधारा जा सकता है तथा उसके पुनर्वास की आवश्यकता होती है। इन संकल्पनाओं के बारे में इकाई में बाद में चर्चा की जाएगी लेकिन अभी हम यह जान लें कि परीविक्षा और पैरोल के लाभ सभी वयस्क अपराधियों को नहीं मिलते। उनमें से अधिकतर जेल सजा की प्रतीक्षा करते हैं। हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली की कुछ सीमाएँ तथा कुछ खामियाँ भी हैं परन्तु हमारा जेल प्रशासन सुधार केन्द्रों के रूप में कार्य करता है। वर्तमान जेल प्रणाली अत्यधिक भीड़, दीर्घकालीन जाँच प्रक्रिया उपयुक्त उपचार और पुनर्वास कार्यक्रमों के अभाव से जूझ रही है। अभी ऐसे अनेक मामले हैं जिनमें कई वर्षों से व्यक्ति जेलों में बंद हैं और किसी भी दिन उन्हें मुक्त किया जा सकता है लेकिन उनके पुनर्वास में अदालतें कोई सहायता नहीं करती हैं।

समाज कल्याण मंत्रालय ने कैदियों के कल्याण हेतु एक योजना बनाई है जिसमें कैदियों को परामर्श, मार्ग दर्शन तथा पुनर्वास गृह स्थापित करने का प्रावधान है। ये अपराधियों को समाज के साथ पुनः संघटित करने के कार्य हैं। जब आपराधिक कार्रवाई का उद्देश्य रोकथाम और अपराधियों के पुनर्वास एवं सुधार का होता है तब इस प्रणाली के लिए समाज कार्यकर्ता एक अभिन्न हिस्सा बन जाता है।

समाज केस कार्य सेवाएँ शिक्षा, सामाजिक समायोजन तथा अपराधियों को सामान्य नागरिक की तरह रहने के लिए तैयार करने हेतु अपरिहार्य हो जाती हैं। जेल परिवेश में समाज केस कार्य के व्यवसाय में वैयक्तिक संपर्क बनाने पर प्रतिबंध होता है जोकि केस कार्य की अनिवार्य आवश्यकता होती है फिर भी, विश्वास के साथ वैयक्तिक कार्य की काफी संभावना रहती है। समाज कार्यकर्ता धीरे-धीरे जेल प्रबंधन दल में स्थान प्राप्त कर रहे हैं। जेल की अधिकारवादी संरचना हो सकती है केस कार्य के अनुकूल न हो तथा परामर्श में अपराधी सहयोग करने से इंकार कर सकते हैं लेकिन एक दक्ष कार्यकर्ता इन बाधाओं को दूर कर सकता है क्योंकि कैदियों को भी वैयक्तिक ध्यान और सहायता की काफी आवश्यकता होती है।

वास्तव में समाज कार्यकर्ता द्वारा कैदियों से संपर्क बनाने का सर्वोत्तम समय उनके जेल में प्रवेश करने का समय होता है। जेल में पहला दिन या रात का आरंभिक सदमा तथा अन्य कैदियों से मुलाकात प्रत्येक व्यक्ति को घबराहट पूर्ण, भयभीत और प्रायः घृणापूर्ण बना देती है। समाज कार्यकर्ता के वार्तालाप कैदी को जेल जीवन की कठोर वास्तविकताओं, भविष्य की संभावनाओं, शैक्षिक और व्यावसायिक अवसरों के बारे में चर्चा करने का अवसर प्रदान करता है। प्रायः अपराधी अपनी वास्तविक भावनाएँ छुपा सकते हैं और हो सकता है कि उन्हें केस कार्य सेवाओं का लाभ उठाने के योग्य बनाने में कुछ समय लगे। जेल में समाज कार्यकर्ता का मुख्य कार्य अपराधियों की सजा और कैद के प्रति उनकी मनोवृत्ति का पता लगाने में भूल स्वीकार करने में उनकी सहायता करना है। समाज कार्यकर्ता उनके कार्यों के बारे में उनकी सोच को स्पष्ट करने में समाज के प्रति उनकी धारणा में परिवर्तन करने में तथा उनके भविष्य के लिए नई योजनाएँ बनाने में उनकी सहायता करने की कोशिश करेगा अंत में समाज कार्यकर्ता की उनकी मुक्ति तथा समुदाय की मुख्यधारा में लौटने की युक्ति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। समाज कार्यकर्ता उन्हें पूरी जानकारी प्रदान कर सकता है कि मुक्त होने के बाद उनकी सफलता के अवसरों के लिए व्यवहार में निश्चित रूप से परिवर्तन करना आवश्यक होगा जो केवल समाज के प्रति अधिक सकारात्मक मनोवृत्ति से ही प्राप्त हो सकती है। (फ्रायडलैंडर 1954)

देखभाल सेवाओं के बाद समाज कार्यकर्ता के दायित्व का एक अभिन्न भाग बन जाता है अपराधी का समाज में गुम हुए स्थान को प्राप्त करने, रोज़गार प्राप्त

करने, उसे परिवार और समाज के साथ जोड़ने में उसकी सहायता करना है। समाज कार्यकर्ता अपराधी की सजा के दौरान उनके परिवारों को भी अपनी सेवाएँ प्रदान कर सकता है। परिवार के साथ नियमित रूप से मिलना पारिवारिक सदस्यों की उसकी कैद को स्वीकार करने, परिवार का अकेलापन समाप्त करने और उसका नैतिक साहस बनाए रखने में सहायक हो सकता है। कैदी के परिवार के लिए बैठकें आयोजित की जा सकती हैं जिनमें सामूहिक गतिविधियों को आयोजित किया जा सकता है।

पैरोल (वचनबद्धता)

पैरोल सजा पूरी होने से पूर्व कैदी को इस प्रावधान के साथ जेल से मुक्ति है कि यदि पैरोल की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो उसे वापिस जेल में भेजा जा सकता है। कैदी का सही पर्यवेक्षण समाज कार्यकर्ता द्वारा किया जा सकता है। वह समुदाय में अन्य एजेंसियों के साथ नेटवर्क बनाकर समाज में कैदी के समायोजन को आसान बना सकता/सकती है। वह आगे चलकर अपने परिवार की सहायता के लिए अपराधी को रोज़गार प्राप्त करने, आत्म-सम्मान पुनः प्राप्त करने तथा समुदाय में अपने परिवार के साथ समायोजन करने में भी सहायता कर सकता/सकती है। उनके पर्यवेक्षण के लिए हमें ऐसे प्रशिक्षित दक्ष समाज कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है जिन्हें मानव व्यवहार, समाज कार्य और कानूनों तथा उनकी प्रक्रियाओं की अच्छी जानकारी हो।

बाल न्याय में समाज कार्यकर्ता की भूमिका

अपराधियों को नियंत्रित करने में अनेक एजेंसियाँ जैसे पुलिस, अदालत तथा अभिभावक शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक एजेंसी भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण से समस्या को देखती हैं तथा अपने विशिष्ट उद्देश्यों के अनुरूप और अपनी अपनी पद्धतियों और परम्पराओं के अनुसार इसे हल करने का प्रयास करती हैं। वे समस्या के एक पक्ष अर्थात् बच्चे के आपराधिक व्यवहार पर ध्यान केन्द्रित करते हैं तथा उसी के अनुसार बच्चे को समग्र रूप से देखते हैं। यहाँ पर समाज कार्यकर्ताओं की भूमिका बाल न्याय में महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि वे बाल अपराधियों को एक वर्ग या श्रेणी के रूप में वर्गीकृत नहीं करते अपितु प्रत्येक अपराधी को अलग-अलग व्यक्ति के रूप में मानते हैं। समाज कार्यकर्ताओं को विभिन्न संस्थाओं जैसे घर, पास-पड़ोस, विद्यालय आदि में परिवर्तन के समग्र कारणों का अध्ययन

करना होता है। समाज सेवाएँ अपराधी के व्यवहार को तथा अपराधी के निकट रहने वालों के व्यवहार या उपेक्षित बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं।

बाल न्याय से संबंधित कानून प्रक्रियाओं में समाज कार्य व्यवहार का शीघ्र ही सम्मिलित होने से परिवीक्षा, सुधार और पुनर्वास में भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता होती है। बाल न्याय अधिनियम 2000 के अंतर्गत सामान्यतः बच्चों और बाल अपराधियों में तथा विशेषतः उपेक्षित बच्चों में न्याय लागू करने के लिए बाल अदालतें और बाल कल्याण बोर्ड समाज कार्य और कानून के बीच व्यावसायिक सहयोग के स्थाई उदाहरण हैं। बाल अदालतों और बाल कल्याण बोर्ड बच्चे की समस्या के निदान और उसे व्यवस्थित करने की उपयुक्त पद्धति का निर्णय करने के लिए परिवीक्षा अधिकारी की मामला अध्ययन रिपोर्ट पर अत्यधिक निर्भर करते हैं। प्रत्येक बाल अपराधी की विशिष्ट परिस्थिति होती है जिसकी स्थानीय स्थिति – घर, विद्यालय तथा पास-पड़ोस के संबंध में अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। इसलिए ऐसे मामले में समाज कार्य की केस कार्य पद्धति का प्रभाव उपयोग किया जा सकता है। ऐसी मनोवृत्ति और परिस्थितियाँ उत्पन्न करने की दिशा में प्रयास किए जा सकते हैं जो बच्चों के नैतिक, शील और स्वस्थ जीवन के अनुकूल हों। परामर्श के द्वारा मनोवृत्ति में परिवर्तन के प्रयास किए जाने चाहिए जिससे घरेलू माहौल प्रसन्नतादायक हो, अपेक्षाकृत अच्छा सामाजिक समायोजन हो तथा पास पड़ोस में शिक्षण और प्रशिक्षण तथा मनोरंजन की उपयुक्त सुविधाएँ हों तथा उनमें सामाजिक मूल्यों और कानूनों के लिए सम्मान की उचित भावना समाहित हो।

सर्वप्रथम सभी समाज कार्यकर्ताओं को क्रमशः मध्यस्थताओं के माध्यम से बच्चों के व्यवहार और मनोवृत्ति में परिवर्तन करने के लिए बच्चों के साथ सीधे घुल-मिल कर कार्य करने की आवश्यकता है। यह कार्य निम्न प्रकार से किया जा सकता है:

- बाल अपराधी को जैसा है उसी रूप में स्वीकार करना।
- गैर-आलोचनात्मक और गैर-निर्णयात्मक धारणा प्रकट करना।
- मज़बूत मुवक्किल-केस कार्य संबंध स्थापित करना।
- दोषारोपण रहित धैर्यशाली श्रोता बनना।

- ऐसा वातावरण बनाना जिनमें अपराधी कानून के विरुद्ध विद्रोह करने के कारणों की चर्चा करने के लिए प्रेरित हो।
- उसे भावात्मक सहारा, मार्गदर्शन तथा सलाह प्रदान करना और उसके द्वारा कानूनों का विरोध करने के कारणों को समझाना।
- उसे सामाजिक और कानूनी नियमों का महत्व तथा उनके उल्लंघन के परिणामों के बारे में समझाना।

इसके साथ-साथ समाज कार्यकर्ता को परिजनों से भी मिलने की आवश्यकता होती है। समाज कार्यकर्ता द्वारा बच्चे की समस्याओं के बारे में परिवार के अन्य सदस्यों को भी अवगत कराने की आवश्यकता होती है। उसे धैर्यपूर्ण होकर उन्हें परामर्श देना चाहिए तथा उनके व्यवहार का मार्गदर्शन करना चाहिए जिससे बदले में यह बच्चे को अपना व्यवहार बदलने में प्रेरित करेगा। कार्यकर्ता द्वारा अभिभावकों को यह भी अनुभव कराया जाना चाहिए कि हो सकता है कि उन्होंने किसी प्रकार की समस्या में योगदान किया हो। बाल अदालतों और पुलिस की प्रक्रिया के बिना मनोरंजन, शिक्षा, परामर्श, शिल्प प्रशिक्षण तथा बच्चों की देखभाल में परिवार की सहायता करने जैसी गैर-संस्थागत सेवाओं के माध्यम से पर्याप्त बच्चों को ठीक किया जा सकता है।

चूँकि समाज कार्यकर्ता के पास अपना सीमित धन होता है अतः उन्हें बच्चों की माँगे पूरी करने के लिए सामुदायिक संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। फिर और संसाधन उत्पन्न करने के लिए उन्हें महिला में विभिन्न संगठनों के साथ नेटवर्क भी स्थापित करने की आवश्यकता है। विद्यालय के अध्यापकों का भी बच्चे के व्यवहार पर व्यापक प्रभाव होता है। उनसे साक्षात्कार कर उन्हें भी बच्चों की समस्याओं के बारे में बताया जा सकता है तथा उनकी सहायता, सहयोग से बच्चों के व्यवहार को प्रभावित किया जा सकता है। एक समाज कार्यकर्ता निम्नलिखित कार्य कर सकता है: (i) विद्यालय (पढ़ाई) बीच में छोड़ने वाले बच्चों को प्रशिक्षण देना, (ii) कानूनी जागरूकता शिविर लगाना, (iii) घर, विद्यालय, पुलिस, अदालतें और सुधार संस्थाओं के साथ समन्वय करना, तथा (iv) विद्यमान कानूनों तथा कार्यान्वयन और प्रवर्तन कानूनों की समीक्षा तथा संशोधन करना।

घर पर जाना तथा सामुदायिक संपर्क

परिवार और घर के वातावरण का समाज कार्य में महत्व अच्छी तरह ज्ञात है। बच्चे की मनोवृत्ति और व्यक्तित्व निर्माण में घर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चे की प्यार, स्नेह, सुरक्षा, शारीरिक और भावात्मक मान्यता आदि की बुनियादी आवश्यकताएँ होती हैं। मुख्यतः ये आवश्यकताएँ घर में पूरी हो जाती हैं और अभिभावकों का यह दायित्व है कि घर में स्वस्थ वातावरण बना रहे। प्यार का अभाव और निरंतर उपेक्षा बच्चे को अपराधी बना सकती है। अपराध और आवारापन घर पर दोषपूर्ण समायोजन के परिणाम होते हैं।

बाल न्याय अधिनियम 2000 (Juvenile Justice Act) के अंतर्गत गैर-संस्थागत सेवाओं का उद्देश्य आरंभिक अवस्था में अपराध पूर्व व्यवहार की पहचान करना है तथा समाज कार्यकर्ता घर पर जाकर मुवकिल की स्थिति का विस्तृत केस अध्ययन कर सकता है तथा अपराध के कारणों का पता लगा सकता है। समाज कार्यकर्ता उसके पारिवारिक वातावरण और होने वाले सामाजिक पारस्परिक संपर्क में अपराध का अध्ययन करता है इससे उसे उपयुक्त उपचार के लिए समग्र निदान संबंधी जानकारी मिलने में सहायता मिलती है। इस प्रकार संपूर्ण मध्यस्थता कार्यक्रम में घर जाना तथा सामुदायिक संपर्क महत्वपूर्ण साधन बन जाता है। इसके बाद परिवार के सदस्यों के साथ बच्चे को परामर्श दिया जाता है और उग्र व्यवहार तथा दोषपूर्ण मनोवृत्तियों को संशोधित कर सकारात्मक स्वस्थ मनोवृत्तियों में और अच्छे समायोजन में परिवर्तित किया जा सकता है।

परिवीक्षा (परखावधि) में समाज कार्यकर्ता की भूमिका

परिवीक्षा प्रदेश के कानून का उल्लंघन करने वालों को सुधारने की एक पद्धति है। इसमें दंड को सशर्त निलम्बित रखा जाता है। इस अवधि में अपराधी परिवीक्षा अधिकारी की व्यक्तिगत निगरानी में रहता है जो उस वैयक्तिक मार्गदर्शन तथा उपचार प्रदान करता है। यह वैयक्तिक उपचार के सिद्धान्त का विस्तार है जहाँ दंड को अपराध की तुलना में अपराधी को ठीक करने के लिए बनाया गया है।

परिवीक्षा को अदालती कार्रवाई के रूप में देखा जाता था तथा आज भी देखा जा रहा है। परिवीक्षा के तीन सामाजिक आयाम हैं: (i) यह परिवीक्षार्थी को कारावास या सुधार गृह में बन्द किए बिना समाज में सामान्य जीवनयापन की तथा सामाजिक रूप से स्वीकार्य पुनः समायोजन की अनुमति प्रदान करती है,

(ii) यह अदालत द्वारा यह मान लेने पर कि परिवीक्षार्थी वैध जीवन व्यतीत करेगा उसकी सामाजिक जाँच के आधार पर स्वीकार की जाती है, और (iii) यह परिवीक्षा अधिकारी की निगरानी के साथ समायोजन करने की प्रक्रिया है।

आपराधिक मुकदमों में दण्ड पूर्व जाँच रिपोर्ट एक आवश्यक सूचना है और परिवीक्षा अधिकारी जो प्रायः समाज कार्यकर्ता होते हैं ये रिपोर्ट तैयार करते हैं। अदालतें प्रसंगाधीन अपराध के लिए उपयुक्त सजा का निर्णय करने हेतु इन पर अत्यधिक निर्भर करते हैं। जब निगरानी सहित या रहित परिवीक्षा दंड का भाग बन जाती है तो समग्र कार्रवाई (मुकदमे) में परिवीक्षा अधिकारी की भूमिका महत्वपूर्ण बन जाती है। दण्ड निर्धारण के अतिरिक्त जेलों और अन्य हिरासत गृहों के सहजात व्यक्तियों का उपचार करना भी समाज कार्य व्यवहार का कार्य हो जाता है।

इस मान्यता में निरंतर वृद्धि हो रही है कि परिवीक्षा विशिष्ट तकनीकी प्रशिक्षण की आवश्यकता वाली उच्च दक्ष सेवा है। यह संस्थाओं से बाहर व्यक्ति पर आधुनिक वैज्ञानिक केस कार्य पद्धतियों को लागू करना है। यह सामुदायिक उपचार का एक रूप है जो संस्थाओं में अनुपलब्ध सामान्य सामाजिक अनुभव की अनुमति प्रदान करती है इसका लाभ यह है कि यह अपराधी के परिवार और व्यवसाय के साथ संबंधों में व्यवधान उत्पन्न नहीं करती।

प्रभावशाली परिवीक्षा प्रणाली के लिए दक्ष समाज कार्यकर्ताओं को तैनात करना आवश्यक है। कार्यकर्ताओं को केस कार्य में, सामुदायिक संसाधनों के उपयोग में तथा बाल और वयस्क अपराधी के व्यवहार को समझने में प्रशिक्षित होना आवश्यक है। परिवीक्षा अपराधी को दूसरा अवसर देना ही नहीं है यह कानून के विपरीत न जाकर जीवन व्यतीत करने के लिए नागरिक बनने के उसके प्रयासों में व्यवस्थित सहायता प्रदान करना है और अपराधी व्यक्ति का सामाजिक पुनर्वास करना भावी अपराध के विरुद्ध समाज का आश्वासन है। यह पर्यवेक्षण है निगरानी नहीं। नकारात्मक रूप से यह परिवीक्षा को अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के दुरुपयोग से बचाता है और इस सीमा तक उसे अनुशासन की अधिकारवादी संरचना के रूप में समझा जा सकता है। लेकिन अधिक महत्वपूर्ण है इसके शैक्षिक और पुनर्वास उद्देश्य जो कुल मिलाकर परिवीक्षार्थी को दिया जाने वाला

उपचार है। घर पर जाने के दौरान दक्षतापूर्ण किए जाने वाले साक्षात्कारों के माध्यम से परिवीक्षा अधिकारी बाल अपराधी को अपनी व्यक्तिगत समस्याओं पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करता है। अधिकारी उसके परिवार, कार्य और सामान्य सामाजिक वातावरण में परिवर्तन करने की संभावनाओं का पता लगाने का भरसक प्रयास करता है। इसके लिए उसे आपसी समझ और सम्मान पर आधारित परिवीक्षार्थी के साथ संबंध बनाने की आवश्यकता है। परिवीक्षा अवधि में परिवीक्षार्थी की भावात्मक तथा वातावरण संबंधी समस्याओं में सहायता की जाती है।

सारांश

हमारे संविधान ने सभी को समानता प्रदान की है। इसे वास्तविक बनाने के लिए राज्य द्वारा समाज के कमज़ोर और उपेक्षित वर्गों का कल्याण करने के लिए विशेष उपाय करना आवश्यक हो जाता है। इन कमज़ोर और सुभेद्य वर्गों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार एवं बचाव के लिए ऐसा एक उपाय विशेष प्रकार के कानून बनाना है। सामाजिक कानून समाज कल्याण के उद्देश्य के लिए कानून बनाने और लागू करने की कानून की एक शाखा है। सामाजिक कानून हमारे समानता और न्याय की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए औपचारिक सामाजिक कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।

इसका उद्देश्य भेदभाव हटाना, कमज़ोर वर्गों के हितों और अधिकारों की रक्षा करना तथा दहेज प्रथा, बाल विवाह, बालिका भ्रूण हत्या आदि जैसी सामाजिक बुराइयों एवं पारम्परिक कुरीतियों को समाप्त करना है। सामाजिक परिवर्तन के एक साधन के रूप में सामाजिक कानून की प्रभावशीलता के बारे में विचारों में मतभेद है। यह सत्य है कि जब तक जनमत का समर्थन और प्रशासनिक सुधार न हो तब तक अकेला कानून वास्तविक रूप से प्रभावशाली नहीं हो सकता। फिर भी सामाजिक परिवर्तन में कानून के महत्व की हम उपेक्षा नहीं कर सकते। इसने कमज़ोर वर्गों विशेषतः महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। उदाहरण के लिए हिन्दू विवाह अधिनियम, 1856, बाल विवाह निषेध अधिनियम, 1929, हिन्दू विवाह अधिनियम, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम,

1939 तथा दहेज निषेध अधिनियम, 1961 आदि जैसे कानून के बनने से कानून की स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है।

व्यावसायिक समाज कार्यकर्ता परिवर्तन प्रक्रिया में गति बढ़ाने में प्रभावशाली साधन के रूप में कानून का प्रभावी उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार समाज कार्यकर्ताओं के कर्तव्य और दायित्वों के रूप में कानूनी जानकारी होना अनिवार्य हो जाता है। उन्हें न केवल इन कानूनों की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए अपितु उनके कार्य से संबंधित प्रक्रिया और पद्धतियों की भी जानकारी होनी चाहिए। महिला कल्याण क्षेत्र में कार्य करने वाले समाज कार्यकर्ता को परिवार कानूनों, दहेज निषेध अधिनियम, अनैतिक अवैध व्यवसाय अधिनियम और अन्य संबंधित कानूनों की भी जानकारी होना आवश्यक है। इसी प्रकार बच्चों के लिए कार्य करने वालों को बाल न्याय अधिनियम, परिवीक्षा कानून, बाल श्रम कानूनों आदि की जानकारी होनी चाहिए। समाज कार्य के ज्ञान और पद्धतियों का प्रयोग करते हुए समाज कार्यकर्ता कानूनी ढाँचे के अंतर्गत सहायता प्रदान कर सकता है इस प्रकार वह कानून की प्रक्रिया की सहायता करता है। उन्हें यह देखना चाहिए कि कानून ठीक से बनाए और लागू किए जाएँ। इस प्रकार समाज कार्यकर्ता न्याय प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

कुछ उपयोगी पुस्तकें

गंग्रेड, के. डी. (1978) *सोशल लेजिस्लेशन इन इंडिया*, कंस्पैट पब्लिशिंग कं., नई दिल्ली

योजना आयोग, (1956) *सोशल लेजिस्लेशन: इट्स रोल इन सोशल वेलफेयर*, भारत सरकार, नई दिल्ली